

पत्रांक /विधि-अनु०/ आयु०क०उत्तरा०/वाणि०कर०/०९-१०/दे०दून।
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि -अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक :: 23 सितम्बर 09

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं०-646/2009 / 8 (120)/
XXVII(8)/2009 /दिनांक 01.09.2009 के हिन्दी पाठ के अन्तिम पंक्ति में
त्रुटिवश शब्द "भी सम्मिलित है" टंकित होने से रह गया है। अतः खाली बोटल
एवं फिअल्स के बाद "भी सम्मिलित है" पढ़ा जाय के सम्बन्ध में शासन ने अपने
पत्रसं०-721/2009/8(120)/XXVII(8)/2009/दिनांक 17.09.2009 के द्वारा
अवगत कराया गया है।

शासन द्वारा जारी उक्त शुद्धिपत्र की छायाप्रति इस निर्देश के साथ
प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित
करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(वी०के०सक्सेना)

प्रभारी, कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० 259 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन
रूद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/
हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त
प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के
पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का
कष्ट करें।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /2009/8(120)/XXVII(8)/2009

दिनांकः देहरादून :: 7 सितम्बर, 2009

शुद्धिपत्र

शासन की अधिसूचना संख्या 646/2009/8(120)/XXVII(8)/2009 दिनांक 01 सितम्बर, 2009 के हिन्दी पाठ के अन्तिम पंक्ति में त्रुटिवश शब्द "भी सम्मिलित है" टंकित होने से रह गया है। अतः खाली ग्लास बोतल एवं फिअल्स के बाद "भी सम्मिलित है" पढ़ा जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 721 /2009/8(120)/XXVII(8)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- गार्ड फाईल हेतु/एन0आई0सी0।

आज्ञा से
(सी0एस0सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

5189
23-5-09
विद्युत
शुद्धिपत्र, आलोक कुमार जैन

23. 09 09
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड देहरादून